[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-2, खंड 4, में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर 2015

का.नि.आ..12...(अ).- केन्द्रीय सरकार, छावनी अधिनियम, 2006 (2006 का 41) की धारा 340 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस उपधारा के प्रयोजन के लिए उक्त अधिनियम की पांचवी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

छावनी अधिनियम, 2006 की पांचवी अनुसूची में –

(i) क्रम सं. 12 पर स्तंभ 3 के खंड (ख) के सामने स्तंभ 4 की प्रविष्टि के स्थान निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

"(क) कमान का मुख्य महा समादेशक अधिकारी;

(ख) अधिनियम के प्रख्यापन की तारीख को लम्बित मामलों की सुनवाई करने के लिए अपर अपीलीय प्राधिकारी के रूप में मेजर जनरल परिचालन संभार-तंत्र, मुख्यालय कमान का पद धारण करने वाला सैनिक अधिकारी । यदि मुख्यालय कमान में मेजर जनरल परिचालन संभार-तंत्र प्राधिकृत नहीं है, उस दशा में मेजर जनरल प्रभारी प्रशासन अधिनियम के प्रख्यापन की तारीख को लम्बित मामलों की सुनवाई करने के लिए अपर अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगा" ।

(ii) क्रम सं. 14 पर स्तंभ 3 के खंड (ख) के सामने स्तंभ 4 की प्रविष्टि के स्थान निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :-

"(क) कमान का मुख्य महा समादेशक अधिकारी;

(ख) अधिनियम के प्रख्यापन की तारीख को लम्बित मामलों की सुनवाई करने के लिए अपर अपीलीय प्राधिकारी के रूप में मेजर जनरल परिचालन संभार-तंत्र, मुख्यालय कमान का पद धारण करने वाला सैनिक अधिकारी । यदि मुख्यालय कमान में मेजर जनरल परिचालन संभार-तंत्र प्राधिकृत नहीं है, उस दशा में मेजर जनरल प्रभारी प्रशासन अधिनियम के प्रख्यापन की तारीख को लम्बित मामलों की सुनवाई करने के लिए अपर अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगा" ।

[पी.सी. सं. 73150/कैंट एक्ट/पोल(कैंटस)

(दीपक अनुराग)

संयुक्त सचिव, भारत सरकार